अनुसूचि 14 फार्म सं0–162

न्यायालय अर्न्तगत अनुमंडल पदाधिकारी,राजमहल

जेठा किस्कु
बनाम
16 आना रैयत
मौजा–झिंगानी पहाड़ न0 12P

आदेष–फलक

देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक तारिख..जिला–साहेबगंज

केस के प्रकार–धारा – प्रधान बहाली वाद संख्या 40/2019–20

आदेशकी कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी और ता' सहित
1	2	3
17.8.19	अंचल अधिकारी, तालझारी के पत्रांक 565/रा0 दिनांक 16.08.2019 के द्वारा मौजा– झिंगानी पहाड न0 12P के रिक्त ग्राम प्रधान के पद पर प्रधान बहाली हेतु जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। मौजा के 16 आना रैयतो से अनापत्ति आमंत्रित हेतु विधिवत् नोटिस निर्गत किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल।	
	अवलोकन किया। अंचल अधिकारी, तालझारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि मौजा– झिंगानी पहाड न0 12P एक प्रधानी वो बे चिरागी मौजा है। इस मौजा के रैयत आस–पास के ग्रामों में निवास करते है। जिसमें प्रधानी पद रिक्त है। मौजा बांझी संथाली न0 1P के बहाल प्रधान श्री जेठा किस्कु पिता स्व0 बरियार किस्कु, ग्राम– बांझी संथाली के साथ उक्त मौजा झिंगानी पहाड न0 12P, का प्रधानी कार्य सुचारु रुप से संचालन हेतु समायोजित किया जा सकता है। अतएव अंचल अधिकारी, तालझारी के जाँच प्रतिवेदन एवं मौजा के 16 आना रैयतों के आपत्ति के अभाव में एवं कार्यहित तथा जनहित मौजा झिंगानी पहाड न0 12P के लगान इत्यादि वसूली एवं अन्य ग्राम प्रधान संबंधी कार्यो के निष्पादन हेतु मौजा बांझी संथाली न0 13P के बहाल प्रधान श्री जेठा किस्कु पिता–स्व0 बरियार किस्कु, सा0–बांझी संथाली, थाना–तालझारी को अपने कार्यो के अतिरिक्त मौजा– झिंगानी पहाड न0 12P, में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 05 के अन्तर्गत प्रधान के पद पर नियुक्त किया जाता है। कबुलियत दाखिल करें। तत्पश्चात पट्टा निर्गत किया जायेगा। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, तालझारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। लेखापित एवं संशोधित। अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल।	ज्ञापांक 415/ए0 दिनांक 31.8.19

Scanned with CamScanner